



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1948 (श10)
(सं0 पटना 951) पटना, सोमवार, 10 अगस्त 2026

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
7 अगस्त 2026

एस0ओ0सं0-IV / के0वि0गया-12-22 / 2026-4907—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल गया में केन्द्रीय विद्यालय, बोधगया के भवन निर्माण हेतु 585.54 डी0 भूमि 99 (निन्यानवे) वर्षों के लिए लीज पर अंतरित किये जाने संबंधी दस्तावेज के निबंधन पर प्रभार्य निबंधन शुल्क की शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हैं।

2. यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नवीन कुमार,
सरकार के सचिव।

7 अगस्त 2026

एस0ओ0सं0-IV / के0वि0गया-12-22 / 2026-4907—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नवीन कुमार,
सरकार के सचिव।

The 7th August 2026

एस0ओ0सं0-IV / के0वि0गया-12-22 / 2026-4907— In exercise of the powers conferred by Section-78 of the Registration Act, 1908, the Governor of Bihar is pleased to exempt fully, the registration fee, chargeable on registration of lease document related to transfer of 585.54 decimal of land for construction of Kendriya Vidyalaya, Bodhgaya building at Gaya for 99 (Ninety Nine) years.

2. It shall come into force with immediate effect.

**By the Order of the Governor of Bihar,
NAVIN KUMAR,
Secretary to the Government.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 951-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>